

58/16

रुघाली v/s मोहनी वगैर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 6/9/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आज्ञा से रीडर</p>	
6/9/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 6/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आदेश से रीडर</p>	
8/11/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 14/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आदेश से रीडर</p>	
14/11/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 26/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आदेश से रीडर</p>	
26/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। आदेश से रीडर वादीजा एवं वादी आक्षेपवला अनुपस्थित। वादीजा एवं वादी आक्षेपवला को निजमानुसार तीस वा आवाजे लगवाई गई परन्तु कोई उपाक्षिप्त नहीं आया। समय 5:30 PM से चुका है। वादीजा एवं वादी आक्षेपवला को न्यायाधीश में पुनः एक बार आवाज लगवाई गई परन्तु कोई उपाक्षिप्त नहीं आया। वादीजा एवं वादी आक्षेपवला के न्यायालय में उपाक्षिप्त नहीं आने से वादीजा द्वारा उस्तुत बाद मन्गल धारा 53 ब्यक्तमान काररकारी आक्षेपवला को यम हानरी। मन्गल धारा में जारि किया जाता है। निजमन सरे सुनसान मुकाम गला। उडी पत्रावली हो। पत्रावली फासल शफार होकर तामील हुका हो अण नम्बर से कर लो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा</p>	



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. ख्याली पत्नी स्व0 नन्द गिरी, आयु 80 वर्ष जाति गुसाई, निवासी सांगवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. मोहनी पुत्री नन्द गिरी पत्नी नाथु पुरी गुसाई आयु 62 वर्ष निवासी सांगवा हाल निवासी मेजा तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वादपत्र बाबत् विभाजन जायदाद एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53-54 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 58/2016 राजस्व वाद

वादीया स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 26.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीया एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


26/11/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा